17

राजस्थान सरकार
कार्मिक(क–3/जॉच)विभाग

2 0 NOV 2007

क्रमांक प–9(2)(13)कार्मिक/क–3/जॉच/2007 जयपुर, दिनांकः

परिपत्र

यह देखने में आया है कि राज्य सरकार के कुछ कार्यालयों में अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति के अवसर पर कार्यालय समय में विदाई समारोह आयोजित किये जाते हैं जो सर्वथा अनुचित है। इस प्रकार कार्यालय समय के दौरान ऐसे समारोहों आदि के आयोजन से न केवल राजकार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है अपितु जन–साधारण में भी राज्य सरकार की छवि के प्रति विपरीत संदेश जाता है।

अतः समस्त कार्यालय अध्यक्षों/विभागाध्यक्षों एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करावें कि कार्यालय समय के दौरान इस प्रकार के समारोह आयोजित नहीं किये जावें। इस प्रकार के आयोजन कार्यालय समय के पश्चात् ही किये जाने चाहिये।

इन निर्देशों की पालना कराये जाने का दायित्व सम्बन्धित कार्यालय के प्रभारी का होगा तथा किसी भी स्तर पर उक्त निर्देशों की अवहेलना होने की स्थिति में सम्बन्धित प्राधिकारी के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी।

(संजय मल्होत्रा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
2. समस्त संभागीय आयुक्त राजस्थान।
3. समस्त जिला कलक्टर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष।
5. प्रोग्रामर, कार्मिक विभाग।

शासन उप सचिव

hs/dop/a-3/07